NJESR/January2023/Volume5/Issue-1 E-ISSN-2582-5836

DOI-10.53571/NJESR.2023.5.1.68-73

'ग्राम विकास में ग्रामीण नेतृत्व की भूमिका (प्रकार्य) : **एक समाजशास्त्रीय अध्ययन**
(बालोद जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. लक्ष्मण कुमार महिलकर,, PDF (ICSSR NEW DELHI)
RESEARCH CENTRE समाजशास्त्र विभाग,
शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी
स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग (छ.ग.)

(Received:30December2022/Revised:15January2023/Accepted:20January2023/Published:31January2023)

सारांश प्रस्तुत शोध पत्र 'ग्राम विकास में ग्रामीण नेतृत्व की भूमिका (प्रकार्य) : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (बालोद जिले के विशेष संदर्भ में)' से संबंधित है। ग्राम पंचायत 29 विषयों पर प्रकार्य कराने के लिए जवाबदेही है, जिसमें समस्त ग्रामीण नेतृत्व को ग्राम विकास हेतु कर्तव्य संपादन के साथ अधिकार प्रदान किया गया है।व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी मिलने पर ग्राम पंचायत संबंधित विभाग को कार्यवाही करने के लिए सूचित करता है, जिस पर तत्काल पहल होता है। उक्त व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण नेतृत्व को ग्राम विकास हेतु भागीदार बनाया गया है | प्रस्तुत शोध पत्र में अध्ययनगत क्षेत्र के विकास में ग्रामीण नेतृत्व की भूमिका (प्रकार्य) की स्थिति एवं योगदान को ज्ञात किया गया है।

प्रस्तावनाः— छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 द्वारा ग्रामवासियों को सुविधा प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत को 29 विषयों पर कार्य कराने का अधिकार एवं शक्तियाँ प्रदान किया गया है, जोकि इस अधिनियम की धारा 49 में ग्राम पंचायत के प्रकार्य तथा धारा 54 में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएँ और सुरक्षा हेतु ग्राम पंचायत की शक्तियाँ वर्णित है, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत निधि में उपलब्ध धन राशि से ग्राम पंचायत अपने क्षेत्रों के भीतर, कार्य कर सकेंगे :—

अध्ययन के उद्देश्य :— ग्राम विकास में ग्रामीण नेतृत्व की भूमिका (प्रकार्य) को ज्ञात किया गया है।

अध्ययन की उपकल्पना :— ग्राम विकास में प्रमुख ग्रामीण नेतृत्व(सरपंच) की तुलना में ग्रामीण नेतृत्व (पंच)की भूमिका कम होते हैं।

अध्ययन हेतु प्रयुक्त शोध पद्धति

(अ) उत्तरदाताओं का चयन :— प्रस्तुत अध्ययन हेतु 2009—2010 के पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत बालोद जिले के ग्राम पंचायत के निर्वाचित ग्रामीण नेतृत्व उत्तरदाता है, तथा अध्ययन के लिए दो स्तरों में निदर्श चयन किया गया है जिसमें प्रथम प्रत्येक तहसील के कुल ग्राम पंचायत का 5 % अर्थात् 21 ग्राम पंचायत का चयन तथा द्वितीय चयनित ग्राम पंचायत से कुल 326 उत्तरदाताओं का अध्ययन हेतु चयन किया गया है। जिसमें अधिकांश सरपंच एवं उपसरपंच का चयन किया गया है। इस प्रकार बालोद जिले के कुल निर्वाचित ग्राम पंचायत प्रतिनिधि 6519 का 5% , 326 उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन द्वारा किया गया है, तथा दो स्तरों के निदर्श चयन में लाटरी पद्धति का उपयोग किया गया है।

(ब) तथ्य संकलन की प्रविधियॉ, उपकरण एवं विश्लेशण :— प्रस्तुत अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाताओं से साक्षात्कार अनुसूची उपकरण के माध्यम से तथ्यों का संकलन किया गया है, संकलित तथ्यों का सम्पादन, वर्गीकरण, सारणीयन करने के पश्चात् उनका विश्लेषण सांख्यिकी एवं तार्किक दोनों आधार पर किया गया है। तथा सांख्यिकी विश्लेषण में कार्ल पियसर्न द्वारा प्रतिपादित काई वर्ग परीक्षण सह—संबंध गुणांक का उपयोग किया गया। प्रत्येक निष्कर्ष को प्राप्त तथ्यों के तार्तिक विश्लेषण के माध्यम से निर्मित किया गया है।

ग्रामीण नेतृत्व की भूमिका :—

ग्रामीण नेतृत्व की प्रत्येक भूमिका को कुल चयनित सरपंच उत्तरदाता 20 में से, उपसरपंच उत्तरदाता 16 में से, पंच उत्तरदाता 290 में से ज्ञात कर प्रमुख ग्रामीण नेतृत्व, उप प्रमुख ग्रामीण नेतृत्व तथा अन्य ग्रामीण नेतृत्व की भूमिकाओं का विष्लेषण किया गया है।

Created by Universal Document Converter

तालिका क्रमांक 1

पेयजल व्यवस्था में उत्तरदाताओं की भूमिका

क्र.	पेयजल व्यवस्था में उत्तरदाताओं की भूमिका	उत्तरदाताओं के पद			आवृत्ति (%)
		सरपंच	उप सरपंच	पंच	
		आवृत्ति (%)	आवृत्ति (%)	आवृत्ति (%)	
01	पानी टंकी का निर्माण	17 (85)	09 (56.26)	120 (41.37)	146 (44.79)
02	पेयजल स्रोत पर उचित दवाई का छिड़काव कराना	18 (90)	12 (75.00)	220 (75.86)	250 (76.69)
03	घरेलू जल के निकासी हेतु नाली निर्माण	19 (95)	16 (100)	235 (81.03)	270(82.82)

उपरोक्त तालिका में पेयजल व्यवस्था के क्षेत्र में ग्रामीण नेतृत्व की भूमिका से यह ज्ञात हुआ कि, पानी टंकी का निर्माण कराने में 44.79 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है। पेयजल स्रोत पर उचित दवाई का छिड़काव कराने में 76.69 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है। घरेलू जल के निकासी हेतु नाली निर्माण कराने में 52.45 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है।

पेयजल व्यवस्था क्षेत्र के कार्यों पर ग्रामीण नेतृत्व की भूमिका के विष्लेषण से स्पष्ट है, कि ग्रामीणों के प्रतिदिन के आवश्यक कार्यो पर ग्रामीण नेतृत्व का योगदान अपेक्षाकृत सामान्य है, अतः ग्रामीण नेतृत्व में ग्राम विकास के कार्यों में सक्रिय भागीदारी करने की आवष्यकता है।

तालिका क्रमांक 1.1

उत्तरदाताओं की आय का पानी टंकी निर्माण की भूमिका के मध्य सह–संबंध

क्र	मासिक आय (रू.में)	पानी टंकी निर्माण		योग
		हाँ (%)	नहीं (%)	आवृत्ति (%)
01	2000 से कम	017 (16.84)	084 (83.16)	101 (30.97)
02	2001–4000	086 (56.22)	067 (43.78)	153 (46.93)
03	4001–6000	019 (63.34)	011 (36.66)	030 (09.20)
04	6001से अधिक	024 (57.15)	018 (42.85)	042 (12.90)
महायोग		**146 (44.79)**	**180 (55.51)**	**326 (100)**

काई वर्ग का परिकलित मान x^2 = 44.496
सार्थकता स्तर p=0.05
स्वतंत्रता अंश(df) = (4-1)(2-1) = 3
स्वतंत्रता अंश एवं सार्थकता स्तर 0.05 पर सारणी मान = 07.815

Created by Universal Document Converter

$$x^2 = 44.496 > 07.815$$

तालिका क्रमांक 5.1.1 में पानी टंकी निर्माण की भूमिका का उत्तरदाताओं की मासिक आय में प्राप्त तथ्यों के आधार पर विष्लेषण किया गया है। विष्लेषण में प्राप्त काई वर्ग परीक्षण का परिकलित मान 44.496 सारणी मान 07.815 से अधिक है, जो दोनों में सार्थक सह–संबंध की पुष्टि करता है, अर्थात् ग्रामीण नेतृत्व पेयजल व्यवस्था में पानी टंकी निर्माण कराने में आय के अनुसार अपनी भूमिका प्रदान करता है।

तालिका क्रमांक 1.2

उत्तरदाताओं की शिक्षा का घरेलू जल के निकासी हेतु नाली निर्माण की भूमिका के मध्य सह–संबंध

काई वर्ग का परिकलित मान $x^2 = 22.886$
सार्थकता स्तर $p=0.05$
स्वतंत्रता अंश$(df) = (6\text{-}1)(2\text{-}1) = 5$
स्वतंत्रता अंश एवं सार्थकता स्तर 0.05 पर सारणी मान = 11.070

$$x^2 = 22.886 > 11.070$$

तालिका क्रमांक 5.1.2 में घरेलू जल के निकासी हेतु नाली निर्माण की भूमिका का उत्तरदाताओं की षिक्षा के प्राप्त तथ्यों में काई वर्ग परीक्षण द्वारा विष्लेषण किया गया है। विष्लेषण में प्राप्त परिकलित मान 22.886 सारणी मान 11.070 से अधिक है, अतः दोनों में सार्थक सह–संबंध है, अर्थात षिक्षित व्यक्ति ग्राम में घरेलू जल निकासी व्यवस्था पर अपनी भूमिका सुनिष्चित करता है।

तालिका क्रमांक 2.1 ग्राम में उपलब्ध सड़क व्यवस्था की स्थिति पर उत्तरदाताओं के मत

क्र.	ग्राम में उपलब्ध सड़क व्यवस्था की स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
01	अच्छी	015	04.60
02	सामान्य	115	35.28
03	खराब	196	60.12
	योग	**326**	**100**

तालिका क्रमांक 2.1 की चित्रमय प्रस्तुति

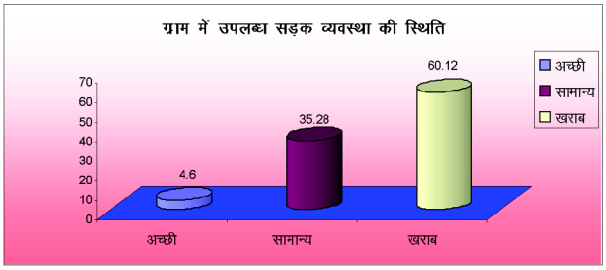

ग्राम में उपलब्ध सड़क व्यवस्था की स्थिति के विष्लेषण से स्पष्ट है, कि सर्वाधिक 60.12 प्रतिशत उत्तरदाताओं के ग्राम में सड़क व्यवस्था खराब है, तथा 35.28 प्रतिशत उत्तरदाताओं के ग्राम में सड़क की स्थिति सामान्य है, एवं 04.12 प्रतिशत उत्तरदाताओं के ग्राम में सड़क की स्थिति अच्छी है।

अतः निष्कर्ष निकलता है, कि आज भी ग्राम अच्छी सड़क से वंचित है, जो ग्राम पंचायत की विफलता को प्रदर्षित करता है।

Created by Universal Document Converter

निष्कर्ष :–

पेयजल व्यवस्था के क्षेत्र में ग्रामीण नेतृत्व की भूमिका से यह ज्ञात हुआ कि, पानी टंकी का निर्माण कराने में 44.79 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है। पेयजल स्रोत पर उचित दवाई का छिड़काव कराने में 76.69 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है। घरेलू जल के निकासी हेतु नाली निर्माण कराने में 52.45 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है। पेयजल व्यवस्था के क्षेत्र के कार्यों पर ग्रामीण नेतृत्व की भूमिका के विष्लेषण से निष्कर्ष निकलता है, कि ग्रामीणों के प्रतिदिन के आवष्यक कार्यो पर ग्रामीण नेतृत्व का योगदान अपेक्षाकृत सामान्य है, अतः ग्रामीण नेतृत्व में ग्राम विकास के कार्यों में सक्रिय भागीदारी करने की आवष्यकता है।

पानी टंकी निर्माण की भूमिका का उत्तरदाताओं की मासिक आय में प्राप्त तथ्यों से विष्लेषण किया गया है। विष्लेषण में प्राप्त काई वर्ग परीक्षण का परिकलित मान 44.496 सारणी मान 07.815 से अधिक है, जो दोनों में सार्थक सह–संबंध की पुष्टि करता है, अर्थात् ग्रामीण नेतृत्व पेयजल व्यवस्था में पानी टंकी निर्माण कराने में आय के अनुसार अपनी भूमिका प्रदान करता है।

घरेलू जल के निकासी हेतु नाली निर्माण की भूमिका का उत्तरदाताओं की षिक्षा के प्राप्त तथ्यों में काई वर्ग परीक्षण द्वारा विष्लेषण किया गया है। विष्लेषण में प्राप्त परिकलित मान 22.886 सारणी मान 11.070 से अधिक है, अतः दोनों में सार्थक सह–संबंध है, अर्थात षिक्षित व्यक्ति ग्राम में घरेलू जल निकासी व्यवस्था पर अपनी भूमिका सुनिष्चित करता है।

ग्राम में उपलब्ध सड़क व्यवस्था की स्थिति के विष्लेषण से स्पष्ट हुआ है, कि सर्वाधिक 60.12 प्रतिशत उत्तरदाताओं के ग्राम में सड़क व्यवस्था खराब है तथा 35.28 प्रतिशत उत्तरदाताओं के ग्राम में सड़क की स्थिति सामान्य है, एवं 04.12 प्रतिशत उत्तरदाताओं के ग्राम में सड़क की स्थिति अच्छी है, अतः निष्कर्ष निकलता है, कि आज भी ग्राम अच्छी सड़क से वंचित है, जो ग्राम पंचायत की विफलता को प्रदर्षित करता है।

षिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण नेतृत्व की भूमिका संबंधी अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि, अतिरिक्त कक्षा भवन निर्माण कराने में 54.60 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है। उचित पेयजल की व्यवस्था में 68.86 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है, जिसमें शत् प्रतिशत सरपंच की भूमिका है। मध्यान्ह भोजन व्यवस्था का निरीक्षण करने में 57.36 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है। शालेय निःषुल्क गणवेष एवं पुस्तक वितरण का मूल्यांकन के रूप में 61.04 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है। योगाभ्यास हेतु षिविर कराने में 43.02 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है।

अतः निष्कर्ष निकलता है कि षिक्षा के क्षेत्र में मध्यान्ह भोजन व्यवस्था का निरीक्षण करना, उचित पेयजल की व्यवस्था, शालेय निःषुल्क गणवेष एवं पुस्तक वितरण का मूल्यांकन करने में प्रमुख ग्रामीण नेतृत्व की भूमिका अधिक है, तथा अन्य ग्रामीण नेतृत्व को षिक्षा के क्षेत्र में अपनी भागीदारी बढ़ाने की आवष्यकता है।

अध्ययनगत ग्राम पंचायत में काँजी हॉऊस संचालित होने संबंधी अध्ययन से स्पष्ट हुआ है, कि सर्वाधिक 66.56 प्रतिशत उत्तरदाताओं के ग्राम पंचायत में काँजी हॉऊस संचालित है, तथा 33.44 प्रतिशत उत्तरदाताओं के ग्राम पंचायत में काँजी हॉऊस संचालित नहीं है। काँजी हॉऊस संचालित ग्राम पंचायत के उत्तरदाताओं से पशु संबंधित अभिलेखों की व्यवस्था पर संतुष्टि को ज्ञात किया गया है, जिसमें सर्वाधिक 58.26 प्रतिशत उत्तरदाता असंतुष्ट है, एवं 41.95 प्रतिशत उत्तरदाता पशुओं से संबंधित अभिलेखों की व्यवस्था पर संतुष्ट है।

Created by Universal Document Converter

अतः निष्कर्ष निकलता है, कि कम जनसंख्या वाले ग्राम में ग्रामीण कानून अत्यधिक कठोर होता है, इस कारण काँजी हॉऊस संचालित करने की आवष्यकता नहीं होती है, जबकि अधिक जनसंख्या वाले ग्राम में काँजी हॉऊस संचालित की जाती है, जिस पर नियंत्रण रखना मुष्किल है, क्योंकि साधन संपन्न ग्रामीणों का ग्रामीण नेतृत्व व अन्य ग्रामीण विरोध प्रत्यक्ष रूप से नहीं करता है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के क्षेत्र पर ग्रामीण नेतृत्व की भूमिका संबंधी अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि, राषन कार्ड हेतु षिविर कराने में 92.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली संस्था का निरीक्षण के रूप में 60.12 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है। संबंधित निगरानी समिति को निरीक्षण के प्रति जागरूक कराने में 35.58 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमिका है, अतः निष्कर्ष निकलता है, कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीणों को खाद्य मिलता है, और ग्रामीण ही ग्रामीण नेतृत्व का चयन करता है, इस कारण ग्राम पंचायत सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था पर नियंत्रण अधिक रखने का प्रयास करती है।

सार्वजनिक विवरण प्रणाली संस्था का निरीक्षण का विष्लेषण उत्तरदाताओं के आयु–वर्ग के उपलब्ध तथ्यों में किया गया है, विष्लेषण में प्राप्त काई वर्ग परीक्षण का परिकलित मान 29.518 सारणी मान 05.991 से अधिक है, अतः दोनों में सार्थक सह–संबंध है, अर्थात् सार्वजनिक विवरण प्रणाली संस्था का निरीक्षण को आयु प्रभावित करता हैं।

दिव्यांगों की सहायता करने की भूमिका का विष्लेषण उत्तरदाताओं के आयु–वर्ग के उपलब्ध तथ्यों में किया गया है, विष्लेषण में प्राप्त काई वर्ग परीक्षण का परिकलित मान 01.385 सारणी मान 05.991 से कम है, अतः दोनों में सार्थक सह–संबंध नहीं है, अर्थात् दिव्यांगों को सहायता प्रदान करना ग्रामीण नेतृत्व की आयु से निर्धारित नही होता है।

सामूहिक विवाह हेतु प्रयास करने संबंधी भूमिका को उत्तरदाताओं की मासिक आय में प्राप्त तथ्यों के आधार पर विष्लेषण किया गया है। विष्लेषण में प्राप्त काई वर्ग परीक्षण का परिकलित मान 20.352 सारणी मान 07.815 से अधिक हैं, जो दोनों में सार्थक सह–संबंध की पुष्टि करता है, अर्थात् सामूहिक विवाह हेतु प्रयास करने संबंधी भूमिका को आय प्रभावित करता है।

ग्राम पंचायत द्वारा कचरा इकट्ठा कराने के लिए स्थान आबंटन की स्थिति संबंधी अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है, कि 87.11 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा कचरा इकट्ठा करने के लिए स्थान आबंटित नहीं की गई है, तथा 12.89 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा कचरा इकट्ठा करने के लिए स्थान आबंटित की गई है। कचरा इकट्ठा करने के लिए स्थान आबंटित ग्राम के उत्तरदाताओं से प्रत्येक वार्ड में कचरा इकट्ठा की व्यवस्था की स्थिति को ज्ञात किया गया है, जिसमें सर्वाधिक 64.29 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार प्रत्येक वार्ड में कचरा इकट्ठा करने के लिए स्थान आबंटित नहीं की गई है, तथा 35.71 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार प्रत्येक वार्ड में कचरा इकट्ठा करने के लिए स्थान आबंटित है, अतः विष्लेषण से निष्कर्ष निकलता है कि ग्रामीण समाज कृषि प्रधान है, जहां प्रत्येक घर गड्ढा खोदकर कचरा इकट्ठा करते है तथा इसका उपयोग खाद के रूप में करता है, परन्तु जिस ग्राम की जनसख्या का घनत्व अधिक होता है, वहाँ ग्राम पंचायत कचरा इकट्ठा करने के लिए स्थान आबंटित करता है।

कृषि से संबंधित योजनाओं को ग्रामीणों को बताने की भूमिका का विष्लेषण उत्तरदाताओं के आयु–वर्ग के उपलब्ध तथ्यों में किया गया है, विष्लेषण में प्राप्त काई वर्ग परीक्षण का परिकलित मान 12.351 सारणी मान 05.991 से अधिक है, अतः दोनों में सार्थक सह–संबंध है, अर्थात विभिन्न आयु वर्ग के ग्रामीण नेतृत्व में कृषि से संबंधित योजनाओं को ग्रामीणों को बताने की प्रवृत्तियॉ भिन्न भिन्न

Created by Universal Document Converter

पायी जाती है। तथ्यों के विष्लेषण से यह भी स्पष्ट हुआ है, कि अधिक आय वर्ग के ग्रामीण नेतृत्व में कृषि से संबंधित योजनाओं को ग्रामीणों को बताने की भूमिका अधिक है।

रोजगार स्थल पर स्वास्थ्य सुविधा कराने की भूमिका का विष्लेषण उत्तरदाताओं की जाति के प्राप्त तथ्यों में काई वर्ग परीक्षण किया गया है। विष्लेषण में प्राप्त परिकलित मान 14.743 सारणी मान 07.815 से अधिक है, जो दोनों में सार्थक सह–संबंध को दर्षाता है, अर्थात रोजगार स्थल पर सुविधा उपलब्ध कराने की भूमिका जाति से निर्धारित होती है।

सार्वजनिक मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था कराने की भूमिका का विष्लेषण उत्तरदाताओं के आयु–वर्ग के उपलब्ध तथ्यों में किया गया है, विष्लेषण में प्राप्त काई वर्ग परीक्षण का परिकलित मान 08.923 सारणी मान 05.991 से अधिक है, अतः दोनों में सार्थक सह–संबंध है, अर्थात् सार्वजनिक मार्ग पर प्रकाष व्यवस्था कराने की भूमिका को आयु निर्धारित करती हैं। युवा वर्ग के ग्रामीण नेतृत्व प्रकाष व्यवस्था को अधिक प्राथमिकता के साथ महत्व प्रदान करता है।

प्रत्येक घर तक विद्युत विस्तार कराने की भूमिका का विष्लेषण उत्तरदाताओं की वैवाहिक स्थिति में प्राप्त तथ्यों के आधार पर किया गया है। विष्लेषण में प्राप्त काई वर्ग परीक्षण का परिकलित मान 01.901 सारणी मान 07.815 से कम है, जो दोनों में सार्थक सह–संबंध नहीं होने की पुष्टि करता है, अर्थात् प्रत्येक घर तक विद्युत विस्तार करने की भूमिका में ग्रामीण नेतृत्व की वैवाहिक स्थिति का कोई प्रभाव नहीं होता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1 Affolter, F. W.,And Findlay, H. J.,Assessment of mobilization and leadership challenges inAzerbaijani IDPAnd refugee camps, J. of Convergence,2002.

2 Ahalawat, S.R., Rural local self Govt. In India,India Aug 2013 ,p49-72

3 Beals, A.R., Leadership in a mysore village, India : Leadership and political institutions I bid,1959.

4 Chauhan, B.R., Leadership in a Rajasthan village in India, op.cit.,1967.

5 Chaudhary, R.K., caste and power structure in village india, india publications, New Delhi, 1987.

6 अनिता, राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति : प्रधान एवं सदस्यों के दायित्व, कृत्य एवं शक्तियाँ, इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर, 2013.

7 Edward, B Harper, political organization and leader ship in a karnataka village, 1959.

Created by Universal Document Converter